



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1943 (श10)
(सं0 पटना 1077) पटना, शुक्रवार, 31 दिसम्बर 2021

okf.kT; &dj foHkx

vf/kl puk

31 दिसम्बर 2021

vf/kl puk l ; k&21@2021 & jkT; dj (दर)

एस0 ओ0 170, दिनांक 31 दिसम्बर 2021 & बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं. 14/2021- राज्य कर (दर), दिनांक 06 दिसम्बर, 2021, जिसे बिहार राजपत्र असाधारण अंक संख्या 994, दिनांक 06 दिसम्बर, 2021, द्वारा प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं. 01/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार राजपत्र असाधारण अंक संख्या 544, दिनांक 29 जून, 2017, में आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

- क. अनुसूची I - 2.5% में, क्र. सं. 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;
- ख. अनुसूची II - 6% में, क्र. सं. 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"171 क1	64	फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रूपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो।"
---------	----	--

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विधिविध 21/2017-(खंड-13)21)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

31 दिसम्बर 2021

एस० ओ० 170, दिनांक 31 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-13)21)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 31st December 2021**Notification No. 21/2021– State Tax (Rate)**

S.O.170, Dated 31st December 2021— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and in supersession of notification of the Commercial Taxes Department notification No. 14/2021-State Tax (Rate), dated the 6th December, 2021, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 994, dated the 6th December, 2021, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 01/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- in Schedule I – 2.5%, serial number 225 and the entries relating thereto shall be omitted;
- in Schedule II – 6%, after serial number 171 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“171A1	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair.”
--------	----	---

- This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 21)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1077-571+10-डी0टी0पी01

Website: <http://egazette.bih.nic.in>